उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

(जिला नजारत शाखा)

:– अति अल्पकालिन निविदा :–

एतद् द्वारा सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा खूँटी जिले के परिसदन का रख–रखाव एवं संचालन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उक्त विभाग द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में आउटसोर्सिंग के माध्यम से खूँटी जिले के परिसदन के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नांकित आवश्यक शर्तो के साथ झारखण्ड राज्य के विभिन्न संचालन संस्था एवं प्रतिष्ठानों से निविदा आमंत्रित किया जाता है :–

1. परिसदन की आंतरिक साफ–सफाई जिसके अंतर्गत कमरों, प्रसाधन गृहों, रसोईघर सहित पूरे परिसर की साफ– सफाई शामिल होगी।
2. परिसदन भवन के लॉन, बगीचा आदि की सफाई एवं रख–रखाव, बगीचा में पेड़ फूल एवं घास आदि का रख–रखाव।
3. हाउस कीपिंग के अंतर्गत निम्नांकित कार्य शमिल होगें :–
   (क) परिसदन में लगे इलेक्ट्रोनिक्स/विद्युतीय उपकरणों एवं जलापूर्ति का रख–रखाव।
   (ख) परिसदन के कमरों एवं रसोईघर के फर्नीचर/उपस्कार आदि की मरम्मति एवं रख–रखाव।
   (ग) परिसदन में ठहरे हुए अतिथियों के लिय प्रसाधन की वस्तुएं यथा–साबुन, तेल, शैम्पू, तौलिया आदि की आपूर्ति।
   (घ) बेडशीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया, तौलिया इत्यादि की आपूर्ति, सफाई एवं धुलाई।
4. निर्बाध विद्युत की व्यवस्था (जेनरेटर सहित)।
5. अतिथियों के लिए चाय, नाश्ता एवं भोजन की निर्धारित दर व्यवस्था करना एवं भोजन पकाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।
6. परिसदन में भोजन/नाश्ता/चाय आदि से होने वाली आय संचालन संस्था को दी जा सकेगी।
7. उपरोक्त कार्यों के निष्पादनार्थ निविदा समर्पित करने वाले संचालन संस्था एवं प्रतिष्ठानों के द्वारा निम्न प्रकार से दो बंद लिफाफा में जमा करेंगे :–
   (क) प्रथम लिफाफा में संस्था/व्यक्ति का अद्यतन आयकर रिटर्न, वाणिज्यकर/सेवाकर, का प्रमाण पत्र एवं स्वच्छता/काली सूची (Black Listed) में निविदादाता का नाम इन्द्राज नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदादाता को किसी संस्थान/प्रतिष्ठान में कैटरिंग/हाउसकीपिंग का न्युनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक हो।
   (ख) दूसरे लिफाफे में निविदादाता को उपरोक्त सेवाएं देने के एवज में मासिक राशि QUOTE क़रना होगा।
   (ग) निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 25000/–(पच्चीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक उपायुक्त, खूँटी के पदनाम से जमा करना होगा।
8. परिसदन के कमरों का आरक्षण पूर्ववत जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी।
9. जिला प्रशासन द्वारा संचालन व्यवस्था की निगरानी हेतु केयर–टेकर प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
10. अनुभवी एवं स्थानीय निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी।
11. प्राप्त निविदा संतोषजनक एवं नियमानुसार नहीं पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये निविदा अस्वीकृत/रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त शर्तें मॉडल स्वरूप हैं। इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन अधोहस्ताक्षरी द्वार किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त शर्तो / निहित निर्देश के अनुसार निविदादाताओं के द्वारा दिनांक **03.01.2018 के 2:00 बजे अपराह्न** तक उपायुक्त, कार्यालय के नजारत शाखा में स्वयं अथवा निबंधित डाक के माध्यम से उपायुक्त, खूँटी जिला नजारत शाखा, खूँटी समाहरणालय के पते पर निविदा जमा कर सकते हैं। जिसे **दिनांक 03.01.2018 को 4:00 बजे अपराह्न** समाहरणालय के सभाकक्ष में खोला जायेगा, जिसमे आप स्वयं अथवा आपके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

उपायुक्त,
खूँटी।